

# **श्री राधास्वामी इंटरनेशनल स्कूल खेजरोली**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आरटीई एक्ट के तहत इस विद्यालय में सत्र 2020-21 के लिये कक्षा प्रथम (आयु वर्ग 5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम ) में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त विधार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के तहत प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन शुरु हो गयी है। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक कर सकते है,ऑनलाइन लॉटरी 30 जुलाई व लॉटरी के बाद विद्यालय में प्रवेश हेतु रिपोर्ट 7 अगस्त तक करना अनिवार्य है।

## **"दुर्बल वर्ग" के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:-**

1. अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रू. तक होने का प्रमाण पत्र
2. बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र
3. बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज

## **"असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:-**

1. बालक/अभिभावक का अनसुचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसुचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआइवी/केसर से

प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र अथवा बी पी एल कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर )

2. बालक /अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
3. बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।

आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण-पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे ।

अभिभावक अधिक जानकारी के लिये RTE की वेबसाइट [www.rajpssp.nic.in](http://www.rajpssp.nic.in) पर देख सकते हैं ।